



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23092022-239018
CG-DL-E-23092022-239018

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4235]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 21, 2022/भाद्र 30, 1944

No. 4235]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 21, 2022/BHADRA 30, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2022

का.आ. 4419(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा कर्नाटक राज्य के चिक्मबल्लपुरा जिले में NH44 (पुराना नंबर-7) के कि.मी. 463.600 से कि.मी. 524.000 (निरुभावी केम्पन्न लेयौट, हेब्बल, बेन्गलौर-24) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "१२/०६/२०२२" को "वार्ता भरतहि" और "डेक्कन हेराल्ड" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य के चिक्कबल्लपुरा जिले में NH-44(पुराना नंबर-7) के कि.मी. 463.600 से कि.मी. 524.000 (निरुभावी केम्पन्न लेयौट, हेब्बल, बेन्गलौर-24) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: कर्नाटक		जिले का नाम: चिक्कबल्लपुरा			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: चिक्कबल्लपुरा				
	गांव का नाम: चडालपुरा				
1	35/1	निजी	ड्राई	0.1112	1.सी.एन्.मोहन एँस्/ओ ए.नागराज 2.नेशनल हाइवे (३५/१)
2	36	निजी	ड्राई	0.0202	1.मुनियाप्पा एँस्/ओ वेंकटरायप्पा 2.नेशनल हाइवे (३६)
3	78/2	निजी	गार्डन	0.0024	1.के.श्रीनिवासप्पा एँस्/ओ कृष्णप्पा 2.एन्.श्रीनिवासमूर्ति एँस्/ओ लेट हेच्.नारायणस्वामी (७८/२)
4	78/4	निजी	गार्डन	0.0102	1.एन्.प्रसाद एँस्/ओ लेट. जी.नारायणरेड्डी (७८/४)
5	79/1	निजी	ड्राई	0.016	एँस्.मुनिनारायणप्पा एँस्/ओ डोडा सोनप्पा (79/1)
			कुल	0.16	

[फा. सं. NHA/NH 7/AP Border to Avathi Village/KNT/LA2004/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st September, 2022

S.O. 4419(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-

section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH44(Old No-7) on the stretch of land from Km. 463.600 to Km. 524.000 (Neerubhavi Kempanna Layout, Hebbal, Bangalore-24) in the district of CHIKKABALLAPURA in the state of KARNATAKA.

And whereas the substance of the said notification has been published in “Vartha Bharathi” and “Deccan Herald” both dated 12/06/2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH44(Old No.7) in the stretch of land from NH44 (Old No7) (Km.463.600 to Km.524.000) in the district of CHIKKABALLAPURA in the state of KARNATAKA.

State: KARNATAKA		District: CHIKKABALLAPURA			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Chikkaballapura				
	Village: Chadulapura				
1	35/1	Private	Dry	0.1112	1.C.N.Mohan S/o A.Nagaraj 2.National Highway 35/1
2	36	Private	Dry	0.0202	1.Muniyappa S/o Venkatarayappa 2.National Highway 36
3	78/2	Private	garden	0.0024	1.K.Srinivasappa S/o Krishnappa 2.N.Sriinivasamurthy S/o Late H.Narayanawamy 78/2
4	78/4	Private	garden	0.0102	1.N.Prasad S/o Late. G.Narayanareddy 78/4
5	79/1	Private	Dry	0.016	S.Muninarayanappa S/o Dodda Sonnappa 79/1
			TOTAL	0.16	

[F. No. NHAI/NH 7/AP Border to Avathi Village/KNT/LA2004/3D]

RAJESH GUPTA, Director